03-04-2023

हाइब्रिड गमोसा

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में बांग्ला साहित्य सभा, असम (BSSA) ने एक समारोह में मेहमानों को असमिया गमोचा और बंगाली गमछों से बने "हाइब्रिड गमोसा" से सम्मानित किया।

त्वरित मुद्दा?

- इस पर विवाद बढ़ने के बाद संगठन ने माफीनामा जारी किया।
- BSSA एक नवगठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सभा है जिसका उद्देश्य असम के बंगालियों को एक मंच प्रदान करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- असमिया गमोचा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ सूती तौलिया है, जो असमिया संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। यह कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा है।
- यह विभिन्न रंगों एवं डिज़ाइनों से बनता है जिसमें सबसे लोकप्रिय लाल एवं सफेद फुलम वाले तौलिया हैं जिन्हें 'गमोचा डिज़ाइन' के रूप में जाना जाता है।
- 'गमोचा' शब्द असमिया शब्द 'गा' (शरीर) एवं 'मोचा' (पोंछ) से बना है, जिसका अर्थ है शरीर को पोंछने के लिये तौलिया। बुनकर तौलिया बुनने के लिये एक पारंपरिक करघे का इस्तेमाल करते हैं जिसे 'टाट जाल' (Taat Xaal) कहा जाता है।
- असमिया गमोचा ने अपने अद्वितीय डिज़ाइन तथा सांस्कृतिक महत्त्व के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया गया था, जो इसकी उत्पत्ति एवं अनूठी विशेषताओं की पहचान है।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि गमोचा नकल से सुरक्षित है और स्थानीय बुनकरों तथा उनकी पारंपरिक बुनाई तकनीकों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- असमिया गमोचा असमिया संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। इस तौलिये का उपयोग दैनिक जीवन में विभिन्न तरीकों से किया जाता है और प्रत्येक उपयोग का एक विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व होता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

बंगाली गमछा

- बंगाली गमछा पारंपरिक रूप से हाथ से बुना हुआ सूती गमछा/तौलिया है जो असमिया संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। यह कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा होता है। यह लाल एवं सफेद चौकोर प्रतिरूप में होता है।

- यह पारंपरिक समारोहों और कार्यों के दौरान महिलाओं द्वारा स्कार्फ के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही यह सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है जिसे किसी को उपहार के रूप में दिया जाता है।
- गमोचा का उपयोग बिहू उत्सव के दौरान भी किया जाता है, जो असम का सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार है।
- यह बिहू नर्तकियों द्वारा गले में लपेटा जाता है जो उनकी पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- बिहू उत्सव के दौरान एकता एवं भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी गमोचा का उपयोग किया जाता है।

MQ-9 Reaper

समाचार पत्रों में क्यों?

MQ-9 Reaper / Predator B रूस और अमेरिका के बीच हमेशा से तनातनी बनी रहती है। इस बीच बीते दिनों रूसी लड़ाकू विमान Su-27 द्वारा अमेरिका के एमक्यू-9 रीपर ड्रोन (MQ-9 Reaper Drone) को काला सागर में टक्कर मारकर गिराने की रिपोर्ट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और दरार आ गई है।

त्वरित मुद्दा?

- एमक्यू-9 रीपर एक मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 35 घंटे से अधिक समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- MQ-9 Reaper की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। यह ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात होकर जमीन के साथ समुद्री लक्ष्य को निशाना बना सकता है।
- इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने काबुल में छिपे अलकायदा आतंकी आयमान अल जवाहिरी को ढेर किया था।
- एमक्यू-9 रीपर सॉलिड कैमरों, सेंसर और रडार के साथ घंटों हवा में रहकर खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है।
- MQ-9 रीपर का निर्माण अमेरिकी कंपनी 'जनरल एटॉमिक्स' द्वारा किया गया है।
- इस ड्रोन की कीमत 453 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है।
- अमेरिकी ड्रोन MQ-9 Reaper मानवयुक्त विमानों से

अन्य प्रमुख तथ्य?

भारत भी खरीदना चाहता है इस ड्रोन को

- भारत MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदने की तैयारी में है। भारतीय सेना ने अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्ससे तीन अरब डालर में 30 ड्रोन खरीदने का प्रताव रखा है।
- इसको लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वार्ता की थी।
- उल्लेखनीय है कि इस ड्रोन के भारत आने से चीन की नींद उड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे LAC पर ऊंचाई वालों क्षेत्रों पर तैनात किया जा सकता है।

कम खर्चीले होते हैं और ऑपरेटरों को इसे चलाना भी सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है।

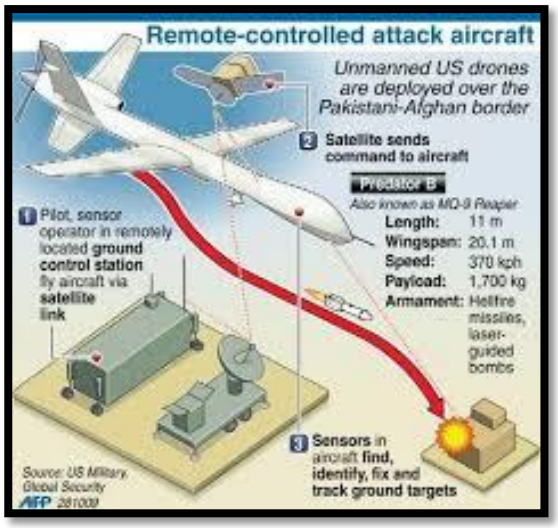

- दूसरे विमानों के विपरीत ड्रोन कई घंटों तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी एकत्र कर सकते हैं।
- इन ड्रोन को संचालित करने के लिए केवल 3,500 डॉलर प्रति घंटे की लागत आती है। वहीं, दूसरे विमानों की लागत 8000 डॉलर प्रति घंटे की आती है।
- MQ-9 रीपर ड्रोन 1900 किमी तक कहीं भी अपने लक्ष्य का सटीक निशाना लगा सकता है।
- यह हवा से हवा में मार करने वाली हथियार क्षमता से युक्त है, जो दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेल्फ प्रोटेक्ट पॉड से युक्त होने के चलते यह बचने के लिए जवाबी हमले भी कर सकता है।

प्रोजेक्ट टाइगर- एलीफैंट के फंड का विलय

समाचार पत्रों में क्यों?

भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े दो प्रमुख कोषों बाघ और हाथियों के संरक्षण को साझा कोष बना दिया है और इस वित्त वर्ष से राज्यों को एक साझा वार्षिक योजना भेजी जाएगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

त्वरित मुद्दा?

- भारत इस साल बाघ संरक्षण के 50 साल और हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। हालांकि, बाघ और हाथी संरक्षण के लिए प्रशासनिक ढांचा पुराना ही रहेगा। सिर्फ धन साझा मद में मुहैया कराया जाएगा।
- सरकार ने भारत में दो प्रमुख पशु संरक्षण योजनाओं "प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट" के लिए धन का विलय कर दिया है। इसके अलावा, राज्यों को संचालन की एक सामान्य वार्षिक योजना भेजने के लिए कहा जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- **प्रोजेक्ट टाइगर:-** यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
- बाघों के संरक्षण के लिये बजटीय आवंटन वर्ष 2014 में 185 करोड़ रुपए था जिसे वर्ष 2022 में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- फ्रंटलाइन स्टाफ जो कि बाघ संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की हालिया पहल ई-श्रम के तहत प्रत्येक संविदा/अस्थायी कार्यकर्त्ता को 2 लाख रुपए का जीवन कवर और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है।

- भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
- भारत के 18 राज्यों में कुल 53 बाघ अभयारण्य हैं और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
- भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।
- भारत, बाघ रेंज वाले देशों के अंतर-सरकारी मंच ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- GTF में बाघ रेंज वाले देश: बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडिया, नेपाल, म्याँमार और वियतनाम।

- वर्ष 2010 में नई दिल्ली में एक "प्री-टाइगर समिट" आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिये बाघ संरक्षण के मसौदा को अंतिम रूप दिया गया था।
- 13 टाइगर रेंज देश (TRC) हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्याँमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण:-यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है।
- **हाथी परियोजना:-** इसे वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिये राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।
- **उद्देश्य:**
  - हाथियों के साथ-साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना।
  - मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना।
  - बंदीगृहों में कैद हाथियों का मुक्त करना।

- यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
- हाथी परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। पिछली बार हाथियों की गणना वर्ष 2017 में हुई थी।
- हाथी जनगणना 2017 के अनुसार, भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या 27,312 है।यह संख्या वर्ष 2012 में हुए जनगणना अनुमान (29,391 से 30,711 के बीच) से कम है।
- कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है।
- **एलीफेंट रिज़र्व:-**भारत में लगभग 33 एलीफेंट रिज़र्व हैं। भारत का पहला एलीफेंट रिज़र्व झारखंड का सिंहभूम एलीफेंट रिज़र्व है।
- **एशियाई हाथियों की संरक्षण स्थिति**
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट: संकटापन्न (Endangered)
  - CITES: परिशिष्ट-I
  - भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- **संबंधित वैश्विक पहल:-**हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants – MIKE), वर्ष2003 में शुरू किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका और एशिया से हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित सूचना के अनुमानों की पहचान (ट्रैक) करता है, ताकि क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता से निगरानी की जा सके।